न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
13.11.17	पत्रावली वकील उभय प्रार्थी को प्रार्थना पत्र मेरा काम अपना बाद खारिज करवा लिया है इसलिए इस प्रार्थना पत्र के चलाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर अभिलेख से कायम हो तथा बाद तामील सम्बन्ध बाद हो। उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner